फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बाली

राजस्व विविध प्रकरण सं0 62/2002 अनवान दानजीभाई बनाम तहसीलदार, बाली वगैरा अंतर्गत धारा 30 (ई) राज. कृषि जोतो पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम (पुराना कानून)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
20-8-2019	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में जाहिर हैं कि वकील प्रार्थी श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 30 (ई) (पुराना सिलिंग कानून) के माध्यम से दलील दी जा रही हैं कि प्रार्थी ग्राम बिरोलिया के भूतपुव जागीरदार स्व0 राजूसिंह व भंवरकंवरजी द्वारा धारित भूमि मेंसे सिलिंग सीमा से आधिक्य भूमि के खरीददार हैं। बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि ग्राम बिरोलिया के भूतपुर्व जागीरदार राजूसिंहजी व उनकी पत्नि स्व0 भंवरकंवर उर्फ चेनकंवर ने उनके द्वारा धारित भूमि गत् खसरा नंबर 97 रकवा 229 बीघा 14 विस्वा (**दो सौ साढे उनतीस बीघा चार बिस्वा)** जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 3.3.1966 के द्वारा खेताभाई, मावजीभाई, मणीभाई, भीमजीभाई को बेचान की गई। बेचान के आधार पर नामान्तरकरण अप्रार्थी संख्या–01 तहसीलदार, बाली द्वारा खरिददारान् खेताभाई वगैरा के नाम दर्ज कर जमाबंदी में वहैसियत खातेदार दर्ज किया गया। जिस भूमि के बटा नंबर 97/1 व 97/2 पडे। जिन चारो व्यक्तियों मेसे श्री भाणजीभाई, मणीभाई एवं भीमजीभाई का भी स्वर्गवास हो गया एवं फौतेदगी नामा0करण संख्या 60 व 61 के द्वारा उनके वारिशान एवं उत्तराधिकारीगण दानजीभाई पुत्र भाणजीभाई, खेता भाई पुत्र भाणजी भाई, मावजीभाई पुत्र भाणजीभाई का नाम वहैसियत खातेदार के खोला गया एवं जमावंदी संवत 2027 से 2030 में भी इसका इन्द्राज किया गया। भूतपुर्व जागीरदार राजूसिंह व उनकी पत्नि के विरूद्व पुराने सिलिंग कानून के तहत कार्यवाही संस्थापित की गई, जिसके सिलिंग प्रकरण संख्या 60/70, 258/70 को एक साथ क्लब करते हुये अप्रार्थी संख्या–01 तहसीलदार, बाली ने कार्यवाही की। प्राधिकृत अधिकारी (सिलिंग) उपखण्ड अधिकारी बाली ने राजूसिंह व भंवरकंवर के विरूद्व संस्थापित सिलिंग प्रकरणो को दिनांक 19.12.1970 को निर्णित करते हुये बिरोलिया के गत् खसरा नंबर 97 की 279 बीघा 15 विस्वा (**दौ सौ साढे उनयाची बीघा चार विस्वा)** व गत् खसरा नंबर 128 की 144 बीघा 16 विस्वा (**एक सौ पौने पैतालीस बीघा एक बिस्वा)** भूमि का हस्तान्तरण वैद्य/सही मानते हुये धारित भूमि मेंसे उक्त भूमि वाद देकर 30 स्टेण्डर्ड एकड से आधिक्य धारित भूमि 183.3 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सरेण्डर के आदेश दिये गये। वर्णित भूमि सिलिंग में बाद देने के पश्चात् श्री खेताभाई पुत्र भाणजी भाई निवासी बिरोलिया ने राजुसिंह वगैरा से खरीद शुदा भूमि, जो इनकी खातेदारी में दर्ज थी, प्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 20.07.1992 से हस्तांतरित कर दी। उक्त बेचान का नामान्तरकरण संख्या 24 दिनांक 30.09.1992 प्रार्थीगण के नाम भरा गया। श्रीमति भंवरकंवरजी व राजूसिंह के विरूद्व पारित निर्णय दिनांक 19.12.1.70 के विरूद्व बिरोलिया के खसरा नंबर 97 व 128 की भूमि के अलावा अन्य भूमि बाबत् अपीले सक्षम न्यायालय में पेश की। जिन अपीलो का अंतिम निपटारा दिनांक 14.11.1996 को राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली द्वारा किया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय	

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज

में भारमुक्त व अप्रार्थी संख्या 2 से 08 के खाते की भूमि मेंसे 6 स्टेण्डर्ड एकड भूमि अधग्रहित करने के आदेश दिये गये। जिस निर्णय के विरुद्ध अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 08 के द्वारा कोई अपील, निगरानी, रिट नहीं की गई। जिससे अप्रार्थीगण के पास 06 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सरेण्डर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहा। परन्तु फिर भी अप्रार्थी संख्या 02 से 08 ने दिनांक 03.01.1997 को प्रार्थीगण की खरिदशुदा खातेदारी भूमि बावत् आप्शन उपखण्ड अधिकारी, बाली को पेश कर दिये। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 08 को उक्त आप्शन प्रस्तुत करने का कानूनन अधिकार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 02 से 8 के द्वारा दिनांक 03.01.1997 को आप्शन प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा दिनांक 10.03.1997 को आप्शन में दर्शित भूमि भारमुक्त है अथवा भारयुक्त, इस बावत् जांच करने व जांच रिपोर्ट प्रस्तुती के निर्देश अप्रार्थी तहसीलदार, बाली को दिये गये। इस पर अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार, बाली ने भी भू0 अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर को अपने पत्रांक दिनांक 14.03.1997 से भारमुक्त भूमि अधिग्रहण के आदेश दिये गये। भू0अभिलेख निरीक्षक सुमेरपुर द्वारा निर्णयो व आदेशो की अनदेखी करते हुये प्रार्थीगण की जानकारी के बाला–बाला प्रार्थीगण की खरीदशुदा भूमि खसरा नंबर 126 की भारयुक्त भूमि दिनांक 15.03.1997 को अधिग्रहण कर दी। जिसकी रिपोर्ट अप्रार्थी संख्या–01 तहसीलदार, बाली ने अपने पत्रांक दिनांक 17.03.1997 से उपखण्ड अधिकारी, बाली को भिजवाई। उक्त तमाम कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से प्रार्थी व अन्य खरीददारो द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के समक्ष दिनांक 25.03.1997 को उजरदारी भी पेश करना वताया, इसके वावजुद दिनांक 25.03.1997 को तत्कालिन उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि का नियम विरूद्ध आवंटन की कार्यवाही भी सम्पादित कर दी गई। प्रार्थीगण की आपत्ति पर खसरा नंवर 126 की 2.48 हैक्टर भूमि का आवण्टन नहीं करना तथा भूमि सिवायचक होना वताया।

इन सब तथ्यो के आधार पर प्रार्थना पत्र धारा 30 (ई) पेश कर प्रार्थी की खातेदारी भूमि को अधिग्रहण से मुक्त कर पुनः नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने की दलील दी गई। अपनी दलीलो के समर्थन में विद्वान् वकील प्रार्थी श्री हनुमानसिंह चौहान द्वारा कानूनी उद्धहरण **RRD 1996** भेराराम बनाम राजस्व मण्डल अजमेर में पारित निर्णय व **AIR 1993 R-N-** गोसाई बनाम यशपाल धीर में पारित निर्णय की प्रतियॉं पेश की तथा इन कानूनी उद्धहरणों में प्रतिपादित सिद्वान्तो अनुसार सिलिंग कानून (पुराना) की धारा 16(4) के प्रावधानो की अवहेलना होने एवं **Constitution of India, Art. 136- Approbate & reprobate- Not permissible- Principle, is based on doctrine of election** के प्रावधानो अनुसार प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि जो भारयुक्त भूमि थी, गलत रूप से अधिग्रहण की जाने से पुनः प्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे।

पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अवलोकन से जाहिर हैं कि प्रार्थीगण द्वारा अपने उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से तहसीलदार, वाली द्वारा निरीक्षक भू0अभिलेख सुमेरपुर की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी की खरीदशुदा भूमि को सिलिंग में नियमों के विपरित अवाप्त करना बताते हुये उक्त भूमि का नामान्तरकरण पुनः प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने की मांग की जा रही हैं। अपने प्रार्थना पत्र में निरीक्षक भू0 अभिलेख सुमेरपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को नियमो के विपरित बताया, तथा प्रार्थी की खातेदारी भूमि को गलत रूप से भंवरकंवर के

उप - खण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
	सिलिंग प्रकरण में अधिग्रहण करना बताया। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि सरेण्डर करने बाबत् प्रस्तुत ऑप्शन को भी नियमों के विपरित बताया। तथा अधिग्रहण के बाद उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा दिनांक 25.03.1997 को की गई आवण्टन कार्यवाही को भी गलत बताया गया। प्रकरण में तहसीलदार, बाली द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक/ राजस्व/ 2019/ 1381 दिनांक 31.07.2019 से न्यायालय को रिपोर्ट भिजवाई गई हैं। उस रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में वर्णित ग्राम बिरोलिया स्थित भूमि बाबत् माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के द्वारा प्रकरण राजस्व अपील संख्या 65/2002 में पारित निर्णय दिनांक 14.05.2013 के अनुसार प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय (सिलिंग), पाली को प्रति प्रेषित होने से प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय(सिलिंग), पाली के न्यायालय में विचाराधीन हैं। जिसके प्रकरण संख्या 17/2018 अनवान भावजीभाई बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली व अन्य हैं। माननीय अतिरिक्त कलक्टर(सिलिंग), पाली के न्यायालय में लंबित अपील एवं इस न्यायालय में लंबित प्रकरण की भूमि एक ही हैं। पत्रावली पर उपलब्ध माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के राजस्व अपील संख्या 38/95 में दिनांक 14.11.1996 को पारित निर्णय के अवलोकन से यह जाहिर हैं कि माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली ने अपने निर्णय में अपीलान्ट जो कि हस्तगत् प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 02 से 08 है, को 06 स्टेण्डर्ड एकड भूमि सरेन्डर करने बाबत् आप्सन उपखण्ड अधिकारी, बाली को पेश करने बाबत् निर्देशित किया है, जिसकी अनुपालना में ही अप्रार्थीगण संख्या 02 से 08 द्वारा दिनांक 03.01.1997 को आप्शन पेश किया गया है, जिससे वकील प्रार्थी की ऑप्शन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होने की मांग स्वीकार योग्य नहीं हैं। इसके साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, पाली का निर्णय, जो अपील संख्या 120 2000 अनवान भावजीभाई बनाम सरकार जरिये तहसीलदार, बाली में दिनांक 31.01.2002 को पारित किया गया है, के अवलोकन से जाहिर हैं कि प्रार्थी भावजीभाई द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को माननीय अतिरिक्त कलक्टर, पाली ने आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये प्रकरण तहसीलदार, बाली को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि संबंधित सिलिंग प्रकरण में जागीरदार द्वारा प्रस्तुत किये गये विकल्प की जांच कर उपरोक्त भूमि के अलावा **भारमुक्त भूमि** जो सिलिंग प्रकरण में संबंधित गैर सायलान के कब्जे काश्त में हैं, की अवाप्ति कार्यवाही की जाकर ऐसी भूमि को **सिवायक चक** दर्ज करे। उक्त आदेश से प्रार्थी को भी हिदायत दी गई कि वे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बाली में **शपथ पत्र के साथ भारमुक्त** भूमि का विवरण पेश करे। निर्णिय में यह भी निर्देश दिये कि पक्षकारो को सुनकर विधि सम्मत नये सिरे से भूमि अवाप्त कर उसे सिवायचक दर्ज कर नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 15.03.1997 के संबध में आवश्यक कार्यवाही की जावे। तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह जाहिर हैं कि प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त कलक्टर, पाली के आदेश के विरूद्व माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के न्यायालय में अपील की गई। जो राजस्व अपील संख्या 65/2002 दिनांक 14.05.2013 को निर्णित करते हुये प्रकरण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग), पाली को प्रतिप्रेषण होने से वर्तमान में माननीय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सिलिंग), पाली के न्यायालय में	

उप - खण्ड अधि...

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इजलासिया ...
	लंबित है। जिसके अपील संख्या 17/ 2018 अनवान भावजीभाई बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली वगैरा है, इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में यह स्पष्ट हैं कि प्रार्थी द्वारा नामान्तरकरण संख्या 55 दिनांक 15.03.1997 जिससे प्रार्थी की भूमि को तहसीलदार, बाली द्वारा सिवायचक दर्ज किया है, को नामान्तरकरण अपील के माध्यम से माननीय न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, पाली में चुनौती दी जा चुकी है। जिस निर्णय के विरूद्व भी अपील के माध्यम से पक्षकारो द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर में चुनौती दी जा चुकी हैं। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर द्वारा राजस्व अपील संख्या 65/ 2002 दिनांक 14.05.2013 को निर्णित करते हुये प्रकरण को पुनः अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय (सिलिंग), पाली को प्रति प्रेषण किया जा चुका हैं। जिसकी पालना में प्रकरण वर्तमान में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग), पाली के न्यायालय में लंबित है, जिसके अपील संख्या 17/ 2018 अनवान भावजी भाई बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाली व अन्य है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग), पाली इस न्यायालय का अपर न्यायालय है, जिनके यहॉ पर प्रार्थी का प्रकरण सुनवाई के लिये लंबित है। अपर न्यायालय में कार्यवाही के लंबित रहते हुये इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही न्यायोचित नहीं हैं। इस संबध में संशोधित दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 10 के प्रावधानो का भी अवलोकन किया गया। **धारा 10 वाद का रोक दिया जाना–** कोई न्यायालय ऐसे किसी भी वाद के विचारण में जिसमें विवाद्य विषय उसी के अधीन मुकदमा करने वाले किन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उन मेंसे कोई दावा करते हैं, किसी पूर्वतन संस्थित वाद में भी प्रत्यक्षतः और भारत में के किसी अन्य ऐसे न्यायालय में, जो दावा किया गया अनुतोष देने की अधिकारिता रखता है या भारत की सीमाओं के परे वाले किसी ऐसे न्यायालय में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किया गया है या चालू रखा गया है और, वैसी ही अधिकारिता रखता है, या उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित हैं। **इसी प्रकार धारा 11 पूर्व न्याय–** कोई भी न्यायालय किसी एसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य–विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के, या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिनसे व्युत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उनमें से कोई दावा करते है, किसी पुर्ववर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद बाद में उठाया गया है, विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका हैं और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका हैं।
	इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण में स्पष्ट तौर पर प्रमाणित हैं कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय से जो अनुतोष चाहा जा रहा है। इसी भूमि बाबत् पक्षकारो के मध्य प्रकरण अपर न्यायालय माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सिलिंग) पाली में लंबित हैं। इस न्यायालय से भी उसी अनुतोष की मांग की जा रही है। इस प्रकार हस्तगत् प्रकरण धारा 10 व 11 सी.पी.सी. के प्रावधानो से बाधित होने से इस न्यायालय द्वारा प्रार्थी के अनुतोष अनुसार किसी प्रकार की कार्यवाही की जाना विधि सम्मत नहीं हैं। विद्वान् वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कानूनी उद्धहरण हस्तगत् प्रकरण की परिस्थितियों पर चशपा नहीं होते है। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी इस न्यायालय के श्रवणाधिकार का नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। मिसल फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।
	उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बाली

Scanned by CamScanner